

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 43/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मूलाराम पुत्र चौथाराम उम्र 20 वर्ष		1. रूगाराम पुत्र कलाराम उम्र 65 वर्ष
2. मुकनाराम पुत्र खीयाराम उम्र 60 वर्ष		2. गोमाराम पुत्र अमराराम उम्र 27 वर्ष
3. पपूराम पुत्र चौथाराम उम्र 12 वर्ष		3. मीरोदेवी पत्नि अमराराम उम्र 60 वर्ष
4. सवाईराम पुत्र चौथाराम उम्र 7 वर्ष		4. ओकाराम पुत्र आईदानराम उम्र 70 वर्ष
5. जितेन्द्र पुत्र चौथाराम उम्र 5 वर्ष		5. गडुकाराम पुत्र आईदानराम उम्र 60 वर्ष
6. केलीदेवी पत्नि चौथाराम उम्र 40 वर्ष		6. देवाराम पुत्र आईदानराम उम्र 45 वर्ष
प्रार्थीगण 3 से 5 नाबालिग जरिये कुदरती		7. देवाराम पुत्र रतनाराम उम्र 45 वर्ष
वलिया माता प्रार्थीनी संख्या 6 केलीदेवी		8. भारताराम पुत्र आईदानराम उम्र 75 वर्ष
पत्नि चौथाराम जातियान राईका निवासी		9. भीखाराम पुत्र खेताराम उम्र 80 वर्ष
खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला		10. मलाराम पुत्र आईदानराम उम्र 50 वर्ष
बाड़मेर		11. सांगाराम पुत्र राणाराम उम्र 60 वर्ष
		जातियान राईका निवासी खारा
		महेचान
		12. खेताराम पुत्र किशनाराम उम्र 60 वर्ष
		13. जुजाराम पुत्र किशनाराम उम्र 50 वर्ष
		14. खेताराम पुत्र उदाराम उम्र 50 वर्ष
		15. दानाराम पुत्र खीयाराम उम्र 50 वर्ष
		16. धनाराम पुत्र खीयाराम उम्र 30 वर्ष
		17. नारणाराम पुत्र खीयाराम उम्र 40 वर्ष
		18. रामाराम पुत्र वालाराम उम्र 60 वर्ष
		19. सताराम पुत्र खीयाराम उम्र 50 वर्ष
		20. कुम्भाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 70 वर्ष
		21. चौथाराम पुत्र पुनमाराम उम्र 65 वर्ष
		22. टीकमाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 50 वर्ष
		23. कंवराराम पुत्र सुखाराम उम्र 57 वर्ष
		जातियान - जाट निवासी खारा
		महेचान
		24. पूनीदेवी पत्नि वीजाराम उम्र
		25. बाबूराम पुत्र वीजाराम उम्र 30 वर्ष
		26. मानाराम पुत्र वीजाराम
		27. विशनाराम पुत्र वीजाराम उम्र
		28. सुरताराम पुत्र वीजाराम उम्र 50 वर्ष
		जातियान राईका निवासी खारा
		महेचान तहसील सिणधरी जिला
		बाड़मेर
		29. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक
		शाखा सिणधरी
		30. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा बैंक
		शाखा सिणधरी
		31. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थिति-

1. श्री पावूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 8.9637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 2.1196 हैक्टेयर व खसरा संख्या 704 रकबा 2.8477 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 8.9637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 2.1196 हैक्टेयर व खसरा संख्या 704 रकबा 2.8477 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।


2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 8.9637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 2.1196 हैक्टेयर व खसरा संख्या 704 रकबा 2.8477 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा

संख्या 699 रकबा 8.9637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 2.1196 हैक्टेयर व खसरा संख्या 704 रकबा 2.8477 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 8.9637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 2.1196 हैक्टेयर व खसरा संख्या 704 रकबा 2.8477 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 8.9637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 2.1196 हैक्टेयर व खसरा संख्या 704 रकबा 2.8477 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी